

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या-2, किशनगढबास,अलवर।

पीठासीन अधिकारी : वरुण तलवार, आर.जे.एस.
दीवानी नियमित अपील संख्या : 32/2018

1- श्रीराम पुत्र श्री केसाराम, जाति ग्वारिया, निवासी ग्राम नांगल मौजिया
तहसील किशनगढबास जिला अलवर (राज0) ---अपीलार्थी-वादी।

बनाम

1- गुरुचरण पुत्र श्री सुलतान, जाति ग्वारिया, निवासी ग्राम नांगल मौजिया
तहसील किशनगढबास जिला अलवर (राज0) ---प्रत्यर्थी-प्रतिवादी।

‘पीठासीन अधिकारी श्री इंद्रजीत पंवार, सिविल न्यायाधीश
किशनगढबास, अलवर द्वारा दीवानी वाद संख्या-83/15
उनवानी श्रीराम बनाम गुरुचरण में दिनांक 23.08.2017 को
पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध दीवानी नियमित अपील’

उपस्थित:-

- 1- विद्वान अधिवक्ता श्री धीर सिंह चौधरी, अपीलार्थी-वादी,
- 2- विद्वान अधिवक्ता श्री मिलाप ग्रोवर, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी।

-निर्णय-

दिनांक 01.02.2019

1. हस्तगत दीवानी नियमित अपील न्यायालय सिविल न्यायाधीश
किशनगढबास, अलवर द्वारा दीवानी वाद संख्या-83/15 उनवानी श्रीराम बनाम
गुरुचरण में दिनांक 23.08.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की
गई है।

2. उक्त प्रकरण की पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,
अलवर के आदेश क्रमांक 4106 दिनांक 06.02.2018 की अनुपालना में न्यायालय
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास, जिला अलवर से
मुंतकिल होकर इस न्यायालय में दिनांक 27.02.2018 को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज
रजिस्टर किया गया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी श्रीराम ने प्रतिवादी गुरुचरण के
विरुद्ध एक वाद बाबत हुक्मईस्तनाई दवामी विचारण न्यायालय में इस आशय का
पेश किया कि वादी की पुश्तैनी मिलकियत मकबूजा की आवासीय जायदाद ग्राम
नांगल मौजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है जिसमें वादी ने
दो कमरे, दो टीनशेड, रसोई इत्यादि का निर्माण किया हुआ है और पीछे की
कुछ भूमि पडत छोडी हुई है जिसका उपयोग-उपभोग वह गुवाडा के रूप में

करता आ रहा है जिस जायदाद की हद्दअर्बा वादपत्र की चरण संख्या-2 में वर्णितानुसार है। वादी ने आवासीय जायदाद के रोशनदान, मोरी, झांप इत्यादि प्लॉट र,ब,य,द में निकाल हुए हैं तथा पेड पौधे लगाये हुए हैं, ईंधन आदि पटका हुआ है। उक्त प्लॉट के लगता हुआ तरफ पूर्व वादी द्वारा एक और प्लॉट 40 गुणा 40 का दीनमोहम्मद, कमरुद्दीन से खरीद किया है। प्रतिवादी ने पेशकर्दा नक्शा बरंग सुर्ख में स द दीवार चपेटवां लगाकर झांप, रोशनदान व मोरी स द दीवार के चपेटवां लगाकर बंद कर दिये जिससे वादी के हवा, रोशनी, पानी का मूल अधिकार जो कि वादी के सुखाधिकार में आता है, उससे वादी को प्रतिवादी वंचित नहीं कर सकता। इसलिए वादी स द दीवार के चपेटवा दीवार जो प्रतिवादी ने दावा दायरी के बाद नया निर्माण किया है उसको मिसमार कराने का अधिकारी है। पेशकर्दा नक्शा में बरंग सुर्ख से दर्शित स्थान अ,ब,स,द से प्रतिवादी का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी, वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। अंत में बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री चाही है कि वादी की विवादित जायदाद पर प्रतिवादी जबरन कब्जा नहीं करे, वादी की मोरी, रोशनदान इत्यादि बंद नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे, यथा स्थिति बनाये रखे और प्रतिवादी ने जो स, द दीवार के चपेटवां दीवार बनाकर वादी के रोशनदान, झांप व मोरी को बंद कर जो नया निर्माण किया है, को मिसमार कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

4. प्रतिवादी की ओर से इस आशय का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है कि पेशकर्दा नक्शा वादी में र ब ल व से दर्शित नक्शे में बहरफ अ ब स द प्लॉट मकानात वादी के न होकर प्रतिवादी के मकानात हैं, केवल बहरफ य स द ल व जगह ही वादी की है शेष जायदाद से वादी का कोई लेना देना नहीं है। जब स द की तरफ पूर्व में वादी की कोई जायदाद, हक व हिस्सा ही नहीं है तो वादी का जंगला, झांप निकालने का कोई अधिकार नहीं बनता है, ना ही कोई सुखाधिकार प्राप्त होता है। वादी ने नक्शा गलत पेश किया है। वादी ने दिनांक 06.06.2015 की समस्त कहानी मिथ्या व मनघडन्त दर्ज की है। अंत में वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

5. विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए—

1. आया, प्रतिवादी द्वारा विवादित जायदाद के संबंध में पेश नक्शा बरंग सुर्ख में स द दीवार दावा दायरी के बाद निर्माण करवाकर वादी के मकान में हवा व रोशनी को बाधित किया है, जिसका वादी को सुखाधिकार प्राप्त है ?वादी।
2. आया, प्रतिवादी विवादित जायदाद पर जो कि नक्शे में अ ब स द से दर्शित है विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने पर आमादा है ? ...वादी।
3. आया, वादी वादपत्र के पैरा संख्या-11 के अ व ब बिन्दू में वर्णित प्रकार का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है ?
4. अनुतोष।
6. वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में पी.ड.-1 श्रीराम, पी.ड.-2 संपतराम, पी.ड.-3 बनवारी, पी.ड.4 रामनिवास के बयान लेखबद्ध करवाये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श-1 दावा लगायत प्रदर्श-4 नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाया है।
7. प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.ड-1 गुरुचरण, डी.ड-2 सुनील कुमार व डी.ड.3 कमरुद्दीन के कथन लेखबद्ध कराये तथा सुसंगत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये हैं।
8. विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय दिनांक 23.08.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिस निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-वादी ने यह हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।
9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/वादी स द दीवार जो प्रतिवादी ने दावा दायरी के बाद नया निर्माण किया है जिससे अपीलार्थी/वादी के मकान की झांप, रोशनदान, मोरी आदि को बंद कर दिया है जो कि वादी के मूल अधिकार है और अपीलार्थी/वादी के सुखाधिकार में आते है। जिस दीवार को वह मिसमार कराने का अधिकारी है। नक्शे में वर्णित अ,ब,स,द से प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है और वह अपीलार्थी/वादी की जायदाद पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अपीलार्थी/वादी के रिहायशी मकान के तरफ पूर्व को वादी की जगह होने पर उसने अपने रोशनदान निकाल थे लेकिन उस समय प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने कोई एतराज नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने रिहायशी मकान के तरफ पूर्व को वादी की जायदाद मानी है। अपीलार्थी/वादी विवादित

जायदाद का उपयोग उपभोग पिछले 40 सालों से कर रहा है जिसकी पुष्टि मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी होती है और प्रतिवादी ने नया निर्माण करके अपीलार्थी/वादी के रिहायशी मकान के तरफ पूर्व व दक्षिण को पानी की मोरी, रोशनदान व झांप बंद कर दी। प्रतिवादी गुरुचरण ने बतौर साक्षी डी.ड.1 प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श-2 में बरंग पीला वादी का मकान है जो 35 साल पुराना बना हुआ है। प्रतिवादी विरोधाभासी कथन करता है एक तरफ जमीन का पट्टा पंचायत से लेना व दूसरी तरफ तहसील से पट्टा लेना कहता है तथा वादी की मोरी, झांप आदि बंद करना स्वीकार करता है। पंचायत में पंचों ने यह फैसला किया था कि गुरुचरण 2 फुट हटकर मकान बनायेगा, किंतु प्रतिवादी ने चपेटवां मकान ही बना दिया जिससे वादी के मोरी, झांप, जंगले बाबत सुखाधिकार समाप्त हो गया।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी का यह भी तर्क रहा है कि लाल डोरे के अंदर जो रिहायश होती है उसका कोई रिकार्ड नहीं होता है और मात्र उपयोग उपभोग होता है। किंतु विद्वान विचारण ने उक्त बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया। लिहाजा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व आदेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/वादी का दावा डिक्री किया जावे।

11. इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने बहस में तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री युक्तियुक्त व विधि सम्मत हैं क्योंकि पेशकर्दा नक्शा में य स द ल व जगह ही वादी की है और शेष जगह से वादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही कोई हक, हिस्सा है इसलिए इस जगह पर वादी को कोई झांप, जंगले, मोरी आदि निकालने का कोई अधिकार व सुखाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी ने स्वयं की जमीन पर निर्माण किया है। अपीलार्थी/वादी को विवादित जगह पर स्वयं का स्वामित्व साबित करना था जो वह साबित करने में असफल रहा है और वह कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए अपील खारिज कर निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक उद्धरण पेश किए हैं—

1. 2014(1) आर एल डब्ल्यू 799,
2. 2014(2) आर एल डब्ल्यू 1453 (एससी)

12. उभयपक्ष के तर्क वितर्को पर गौर किया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.08.2017 का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक उद्घरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तनकीवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

विवाद्यक संख्या 1—

13. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है कि प्रतिवादी ने नक्शे में सुर्ख रंग से दर्शित स द दीवार दावा दायरी के बाद निर्माण करवाकर वादी के मकान में हवा व रोशनी को बाधित कर दिया जिसका वादी को सुखाधिकार प्राप्त है।

इस संबंध में वादी श्रीराम ने बतौर साक्षी पी.ड.1 स्वयं के शपथ पत्र में वादपत्र में वर्णितानुसार ही कथन किए हैं। लेकिन प्रतिपरीक्षण में वादी श्रीराम ने यह कथन किया है कि उसने पूर्व तरफ की 15 फुट चौड़ी पौने पैंतीस फुट जमीन छोड़ रखी थी। लेकिन वादी आगे यह भी कथन करता है कि उसका रिहायशी मकान व विवादित जायदाद दादालाई होने के कारण उसने कोई कागजात पेश नहीं किए। इस गवाह का यह भी कथन है कि उसने अपने मकान के चारों तरफ झांप निकाल रखी है। यह गवाह इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट करता है कि पुशतैनी जायदाद किस खसरा नंबर में है उसे नहीं पता। यह जमीन उसे पिता जी के पिता जी से मिली थी। यह रिहायशी जगह थी इसलिए इसकी जमाबंदी नहीं है। वादी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में प्रदर्श-1 दावा व प्रदर्श-2 नक्शा मौका पेश कर प्रदर्शित करवाये हैं। इस प्रकार पी.ड.1 श्रीराम वादी ने साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि उसने विवादित जायदाद के बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और विवादित जायदाद किस खसरा नंबर में है, कितनी जमीन है इस बाबत कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है और विवादित जायदाद को दादालाई होना बताया है। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी पी.ड.2 संपतराम भी प्रतिपरीक्षण में यह कथन तो करता है कि वादी चालीस साल से इस जमीन का उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कथन करता है कि उसे नहीं पता कि जमीन कितनी है और इस तथ्य से भी अनभिज्ञता प्रकट करता है कि विवादित स्थल पर कमरे कितने साईज के बने हैं और कमरे के दक्षिण साईड में प्रतिवादी का खाली प्लॉट है और उसका

क्या साईज है। इस प्रकार गवाह पी.ड.2 संपतराम भी विवादित जमीन की स्पष्ट नाप के बाबत कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। पी.ड.3 बनवारी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कितनी जमीन वादी ने छोड़ी हुई है, वह नाप नहीं बता सकता। जबकि गवाह पी.ड.4 रामनिवास मौका कमिश्नर है जिसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज होना वादी या प्रतिवादी से नहीं पूछा और ना ही पेश हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त संपूर्ण साक्ष्य से अपीलार्थी/वादी यह साबित नहीं कर पाया है कि विवादित जायदाद पर बने मकानों के पूर्व दिशा की ओर छोड़ी गई जमीन उसके स्वामित्व की हो जब उसने यह अभिवचन किया है कि उसे निर्माण की पूर्व दिशा में 15 गुणा 35 फुट जमीन छोड़ी हो जिस जमीन में अपीलार्थी/वादी ने रोशनदान, मोरी, झांप आदि निकाल रखे हैं क्योंकि अपीलार्थी/वादी उस खाली जगह के स्वामित्व के बाबत कोई संपुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है, ना ही उस जमीन की वास्तविक नाप को साबित करने वाला कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत कर पाया है। वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने भी उक्त विवादित जमीन जिस पर रोशनदान, झांप, मोरी, आदि होना बताया गया है, के स्वामित्व बाबत एवं नाप बाबत कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार वादी/अपीलार्थी उक्त विवादित जायदाद के तरफ पूर्व की विवादित भूमि बाबत स्वत्व को स्थापित करने में विफल रहा है। हालांकि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से साक्ष्य में परीक्षित डी.ड.1 गुरुचरण प्रतिवादी भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि अ,ब,स,द जमीन का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और जमीन पंचायत से उसके दादा ने खरीदी थी जिसके कागज जल गये थे और अ,ब,स,द बाबत कोई कागज पत्रावली पर पेश नहीं करना कहता है। इस सन्दर्भ में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा न्यायिक उद्धरण 2014(1) आर.एल.डब्लू. 799 में यह प्रतिपादित किया गया था कि यदि वादी विवादित भूमि पर स्वामित्व को साबित नहीं कर पाता और कब्जा विधिवत् होना भी साबित नहीं कर पाता तो उसके कब्जे के संबंध में स्वामित्व की उपधारणा नहीं की जा सकती। इस प्रकरण में भी वादी/अपीलार्थी विवादित जायदाद के तरफ पूर्व की पडत जमीन के बाबत अपने स्वामित्व के संबंध में संपुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण अपने स्वामित्व को साबित नहीं कर पाया है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक तरफ तो वादी विवादित स्थल पर स्वयं के स्वामित्व मिलकियत मकबूजा की जमीन अपने मकानों के पूर्व दिशा की ओर छोड़ी हुई होना जाहिर करता है वहीं दूसरी ओर वह रोशनदान, मोरी, झांप आदि का उपयोग उपभोग कर उनका सुखाधिकार होना कह कर आया है। जबकि दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

जहां एक ओर वादी विवादित जमीन को स्वामित्व की जमीन बता रहा है जो दीवानी अधिकार है वहीं दूसरी ओर सुखाधिकार का विकल्प लेना अनुयोज्य नहीं है क्योंकि आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वयं के स्वामित्व के संबंध में ही प्राप्त किया जा सकता है जबकि सुखाधिकार अनुसेवी सम्पत्ति पर अधिसेवी सम्पत्ति के स्वामी को प्राप्त होने वाला अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत परिस्थितियों में यह कैसे संभव है कि एक ओर तो विवादित स्थान उसकी स्वयं की जमीन का अभिवचन किया जाए और दूसरी ओर दूसरे की जमीन में सुखाधिकार की मांग की जाए। वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श-2 में जिस कमरे, खिडकी व झांप के लिए वादी दावा लाया है, से लगते हुए कमरे में रोशनदान व मोरी के लिए उसके पास पूर्व दिशा में उसकी स्वयं की पडत जमीन है। ऐसे में स्पष्ट है कि पूर्व दिशा में वादी के पास अपनी रोशनी के लिए खिडकी और पानी निकालने के लिए मोरी हेतु पर्याप्त स्थान है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रदर्श-2 नक्शा के मुताबिक टीनशेड वाले स्थान के लिए वादी खिडकी की मांग करता है तो भी वह क्या सुखाधिकार की मांग कर पायेगा, स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को अपने मकान में हवा पानी के लिए एक दिशा विशेष में जब समुचित अविवादित स्थान उपलब्ध है, घर के प्रत्येक हिस्से के लिए खिडकी मोरी की मांग को लेकर वह सुखाधिकार मांगे, यह विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी के पास हवा, पानी, व नाली के लिए वैकल्पिक स्थान न हो तथा खिडकी व मोरी बन्द कर देने से उसे ऐसी कोई तात्विक या गंभीर क्षति होगी जो जीवन के लिए न्यूसेन्स पैदा कर दे, ऐसा भी तथ्य साबित नहीं हुआ है। वादी ने उक्त प्रदर्श-2 नक्शा में वर्णित मकान में विवादित खिडकी व नाली उसने कब बनाया व कब से उपयोग कर रहा है, ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर है। मात्र गवाहान के कह देने से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह चालीस वर्ष से इस मकान पर काबिज है तो वह खिडकी, मोरी का

उपयोग भी चालीस वर्षों से कर रहा होगा। उद्धरित न्यायिक निर्णय 2014 आर.एल.डब्ल्यू. 1453 एस.सी. के परिपेक्ष्य में यदि प्रतिवादी विवादित जगह को अपनी साबित नहीं पाया है तब भी उसका फायदा वादी नहीं उठा सकता उसे स्वयं ही विवादित जमीन पर अधिकार होना साबित करना होगा साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खिडकी व मोरी को बन्द करने बाद वादी यह दावा लाया है उससे पूर्व उसने कोई आपत्ति पेश नहीं की। यह तथ्य भी उसके विपरित जाता है। उक्त संपूर्ण विवेचन से प्रतिवादी द्वारा विवादित जायदाद के चपेटवा स द दीवार बनाकर वादी के मकान में हवा व रोशनी को बाधित करने और वादी के सुखाधिकार को बाधित करने बाबत तनकी संख्या-1 को विद्वान विचारा विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरुद्ध निर्णीत करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

तनकी संख्या-2

15. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है कि प्रतिवादी विवादित जायदाद पर जो कि नक्शे में अ,ब,स,द से दर्शित है विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने पर आमादा है। इस संबंध में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने जवाब दावा में यह वर्णित किया है कि विवादित जायदाद बरंग सुर्ख अ,ब,स,द प्लॉट मकानात वादी के नहीं होकर प्रतिवादी के मकानात है जिनका दरवाजा तरफ दक्षिण दिशा में वादी की जायदाद में खुलते हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी/अपीलार्थी ने वादी के नक्शे में पीले रंग से दिखाई दक्षिण में स्थित विवादित जमीन के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है कि उक्त विवादित स्थल वादी/अपीलार्थी के स्वामित्व का हो फिर उसका स्वीकार करना कि प्रतिवादी ने वहां चपेटवा निर्माण कर लिया है ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रतिवादी अ,ब,स,द से दर्शित जमीन पर विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने पर आमादा है। अतः विचारण न्यायालय ने यह तकनी संख्या-2 वादी/अपीलार्थी के खिलाफ सही प्रकार से निर्णीत की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

तनकी संख्या-3 व 4

16. उक्त दोनों तनकियात अनुतोष से संबंधित है। चूंकि इस मामले की अहम तनकी संख्या-1 व 2 वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णीत हुई है। वादी/अपीलार्थी विवादित स्थल का स्वामित्व और उक्त विवादित स्थल पर

वर्णित रेशनदान, झांप, मोरी आदि बाबत सुखाधिकार की घोषणा का अधिकारी होना साबित करने में असफल रहा है। इसलिए वादी/अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त विवेचन के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री युक्तियुक्त व विधि सम्मत हैं इसलिए अपीलार्थी/वादी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अपीलार्थी/वादी श्रीराम पुत्र केसाराम द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गुरुचरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2017 को पुष्ट किया जाता है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा कायम किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावे।

(वरुण तलवार)
अपर जिला न्यायाधीश सं.2,
किशनगढबास,अलवर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019. को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वरुण तलवार)
अपर जिला न्यायाधीश सं.2,
किशनगढबास,अलवर